बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–

एस० ओ० दिनांक–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 (b) की अपेक्षानुसार न्यूनतम मजदूरी, अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में कतिपय नए नियोजनों को जोड़ने हेतु प्रारूप अधिसूचना सं०–7116–7117 दिनांक–23.12.2024 निर्गत कर तीन माह की अवधि निर्धारित करतेहुए आम जनमानस के आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये।प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री पर्षद द्वारा सम्यवक विचारोपरांत दो नये नियोजनों को जोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

एतद द्वारा बिहार राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी एवं चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार को जोड़े जाने की घोषणा करतें हैं।

(संख्या–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0–1669)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.25

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

Notification

Patna, Date:-

S.O. Date-

The powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and as required under subsection 1 (b) of Section 5 of the Act, draft notification No.- 7116-7117 dated 23.12.2024 was issued for adding certain new employments to the scheduled employments under the Minimum Wages Act,1948 and objections and suggestions were invited from the general public by fixing a period of three months. After consideration of the objections and suggestions received, the Minimum Wages Advisory Board agreed with the proposal to add new employments.

The Governor of Bihar pleased to declare the inclusion of workers employed through outsourcing in Government offices and workers employed through outsourcing in the sugar industry in the scheduled employments under the Minimum Wages Act,1948.

(No.-4/M.W-40-14/2025 Sr.No.- 1670
By order of the Government of Bihar)

28-3-25
(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक–(संख्या–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– 1669 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28-3-25
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– 1669 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपिः–निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना / मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना / मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना / सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक / सभी कारखाना निरीक्षक / मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28-3-25
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– 1669 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना / उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

28-3-25
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/ M.W-40-14 / 2025 श्र0सं0– 1669 पटना, दिनांक– 28/3/25

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28-3-25
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।